

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2447
उत्तर देने की तारीख-03.08.2026

दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर रिक्तियां

2447. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं;
- (ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय के सभी विभागों तथा महाविद्यालयों में इन रिक्तियों का संकाय-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त रिक्त पदों में से अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 के तहत स्थापित एक सांविधिक स्वायत्त संगठन है और इसके तहत बनाए गए अधिनियमों व संविधियों, अध्यादेशों, विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है। रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, त्याग-पत्र और विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या आदि से जनित अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती हैं। केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 दिनांक 09.07.2019 को अधिसूचित किया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षक संवर्ग में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करता है। यह अधिनियम

विश्वविद्यालय/केंद्रीय शैक्षिक संस्थान को आरक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग विभागों के स्थान पर एक इकाई मानकर नियुक्ति में पदों के आरक्षण संबंधी कठिनाई को दूर करता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम द्वारा वर्ष 2019 से, सह प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान किया गया। पूर्व में ओबीसी को केवल सहायक प्रोफेसर स्तर पर आरक्षण दिया गया था। किसी विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित पद केवल उस विशेष श्रेणी के पात्र व्यक्तियों द्वारा ही भरे जा सकते हैं; आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई भी रिक्त पद भर्ती के अगले चक्र में उस विशेष आरक्षित श्रेणी में बैकलॉग रिक्तियों के रूप में उसके भरे जाने तक पुनः विज्ञापित किया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्तियों/विज्ञापनों/रोज़गारों को सूचीबद्ध करने हेतु एक साझा मंच प्रदान करने के लिए दिनांक 02.05.2023 से एक एकीकृत भर्ती पोर्टल अर्थात् सीयू-चयन प्रारंभ किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पात्र अभ्यर्थियों के चयन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए अपने वेबसाइट पर वर्षभर चलने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सहायक प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्य शर्त में भी ढील दी गई है। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) नियमित रूप से संस्थानों की निगरानी करते हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को रिक्तियों को नियमित रूप से भरने का निदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सितंबर 2022 में शुरू किए गए विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से, दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में 592 एससी पद, 314 एसटी पद और 1082 ओबीसी पद सहित 4075 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पद भरे गए हैं।
